संख्या– 77 /2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्वनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–15/2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022, आदेश संख्या–34/2022–सीएक्स–3, दिनांक 05.01.2022 तथा आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को दिनांक 16.01.2022 तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त जिन शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षायें एवं प्रतियोगात्मक कार्य किये जा रहे हैं, उससे सम्बन्धित छात्रों को परीक्षा एवं प्रैक्टिकल हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आने की छूट रहेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सेक्टर–एम, आशियाना(निकट–स्मृति उपवन)
आशियाना, लखनऊ।

सेवा में,

कुलसचिव / निदेशक / प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
क्षेत्रान्तर्गत समस्त उच्च शिक्षण संस्थान।
(लखनऊ, अयोध्या एवं देवीपाटन मण्डल)।

पत्रांक / क्षे0का0ल0 / 4601–03 /2021–22 दिनांक 10-01-22

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महेदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सॅख्या–66 / सत्तर–3–2021–08 (20) / 2020 दिनॉक 08 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनॉक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन–पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जायेगा। उक्त अवधि में पूर्व से निर्धारित / गतिमान परीक्षायें यथावत संचालित होती रहेंगी ।

अतः अपेक्षित है कि शासन के उक्त संलग्न पत्र दिनॉक 08.जनवरी,2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय

10/1/22

प्रो0(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सॅ0 / क्षे0का0ल0 / 4601– 03 /2021–22 तिथि –उक्त।

प्रतिलिपि–निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.निजी सचिव, सचिव (उ0शि0), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2.निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।

10/1/22

प्रो0(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 66 /सत्तर–3–2022–08(20)/2020

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2 कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक 08 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–3111/सत्तर–3–2021–08(20)/2020 दिनांक 28.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गए हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन–पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जायेगा।

3– उक्त अवधि में पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षायें यथावत संचालित होती रहेंगी। कोविड–19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या– 66 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
3– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।